न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./4670/2001/बारां

1– रामरतन (मृतक) जरिये वारिसानः–
1/1 कस्तूरी बेवा रामतरतन
1/2. कांता प्रसाद)
1/3. पूनमचन्द) पुत्रगण रातरतन
1/4. रामनिवास)
1/5. राजू)
1/6. लक्खूबाई पुत्री रामरतन
1/7. रूकमणी बाई पुत्री रामरतन
समस्त जाति मेघवाल निवासीगण छबड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां

2– रामकरण (मृतक) जरिये वारिसानः–
2/1. लक्ष्मीबाई पत्नी)स्व. रामकरण जाति मेघवाल
2/2. पवन पुत्र)निवासी छबड़ा तहसील छबड़ा
2/3. खुशबू पुत्री)जिला बारां

3– प्रेम) पिसरान जगन्नाथ
4– श्योजी)
5– हरिप्रसाद)
6– प्रेम) पिसरान प्रभूलाल
7– मोहन)
समस्त जाति मेघवाल निवासीयान छबड़ा तहसील छबड़ा व जिला बारां।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– गोरधनीबाई (मृतक) जरिये वारिसानः–
1/1. गोपाललाल पुत्र अमरलाल मेघवाल पति गोरधनीबाई
1/2. मोनू उर्फ जितेन्द्र पुत्र)
1/3. रविकुमार पुत्र) गोपाललाल पति
1/4. ज्योति पुत्री) स्व0 गोरधनीबाई
1/5. रजनी पुत्री)
1/6. प्रीति पुत्री)

2– गोपाल पुत्र हीरालाल जाति मेघवाल ग्राम बेगली तहसील अटरू जिला बारां।
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार।
4– जिला वन अधिकारी, बारां।
5– जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), जिला बारां

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री वी0 श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री सूरजभान जैमन, सदस्य

उपस्थित :
श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अपीलार्थीगण।
श्री यज्ञदत्त शर्मा अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या के का0मु0
श्री वी.पी. सिंह, राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

निर्णय

दिनांकः– 20 सितम्बर, 2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 235/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–6–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने विरूद्ध प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 125 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 परीक्षण न्यायालय उपजिला कलक्टर, छबड़ा के समक्ष इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 740, 738, 737, 739 ग्राम छबड़ा में स्थित है जिसमें से खसरा नंबर 739 का रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा मूलचन्द, कौशल्याबाई, गणेश तेली, छीतरलाल, रामदयाल, बृजमोहन

धाकड़ निवासी ग्राम हनुमत खेड़ा, रामकल्याण, राजेन्द्र कुमार, सोमबाई जाति गालव निवासी कांसल एवं सिद्धूखां पुत्र सुल्तानखां जाति मुसलमान निवासी छबड़ा की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। खसरा नंबर 740, 738 व 737 क्रमशः प्रत्यर्थी संख्या 3, 4 व 5 के खाते में चली आ रही है। उक्त आराजी का गत् खसरा नंबर 709 रकबा 8.04 बीघा है। साबिक खसरा नंबर 709/1 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों की खातेदारी में संवत 2007 में दर्ज है। पूर्व खातेदार रामस्वरूप पुत्र भैरूबक्श हिस्सा 1/2, घासी पुत्र नारायण व हीरा पुत्र माधो हि0 1/2 दर्ज है। भैरूबक्श के एक पुत्र रामसुख हुआ। रामसुख के दो पुत्र जगन्नाथ व प्रभूलाल हुए जिनके वारिसान वादीगण अपीलार्थी है। भैरूबक्श के सगे भाई गणेश के दो पुत्र नारायण व माधो हुए हैं। नारायण का पुत्र घासी है जिसकी वारिस प्रत्यर्थी संख्या–1 है तथा माधो का वारिस प्रत्यर्थी संख्या–2 है। विवादित आराजी को सद्भावी सम्पति बताते हुए अपीलार्थी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा घोषित करने का अनुरोध किया। वाद में आगे यह भी कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 709/1 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा का नामांतरकरण संख्या 78 दिनांक 11–9–1951 से विवादित आराजी को आबादी में दर्ज कर दिया गया जिसकी मुआवजा राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है वादीगण खसरा नंबर 738 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 731 रकबा 1 बिस्वा के अलावा शेष आराजी पर काबिज है जिसमें वादीगण का गैरमुमकिन चाह भी स्थित है। नामांतरकरण संख्या 78 निरस्त करते हुए घोषणात्मक अनुतोष चाहा गया। परीक्षण न्यायालय उप जिला कलक्टर, छबड़ा ने तनकीयात कायम कर उभय पक्षकारान की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री 03–03–2001 द्वारा अपीलार्थी/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलार्थीगण/वादीगण ने न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष अपील पेश की, जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20–6–2001 द्वारा अपील खारिज कर दी। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– हमनें विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का कथन है कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष यह तथ्य पूर्णतया प्रमाणित था कि विवादित आराजी पूर्व में अपीलार्थीगण के पूर्वज रामस्वरूप व घासी तथा हीरा के नाम दर्ज थी जिसका रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा था जिसमें से भू–प्रबन्ध के दौरान अनाधिकृत रूप से उक्त आराजी का नामांतरकरण संख्या 78 के द्वारा अपीलार्थी के पूर्वज का नाम खारिज कर दिया, जबकि उक्त आराजी आज भी अपीलार्थीगण के कब्जे में बदस्तूर चली आ रही है। यह भी कथन किया कि अपीलार्थीगण की आराजी किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा आज तक अधिग्रहित नहीं की गई और न ही अपीलार्थीगण को अथवा उनके पूर्वजों को उक्त आराजी का कोई मुआवजा दिया गया है। ऐसी स्थिति में तहसील छबड़ा द्वारा अनाधिकृत तौर पर यह आलेखित किया गया कि विवादित आराजी पर स्कूल बन चुका है तथा मुआवजा की कार्यवाही चल रही है। परीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान नहीं दिया कि अपीलार्थीग्ण की विवादित भूमि में से केवल शिक्षा विभाग के नाम खसरा नंबर 738 की 4 बिस्वा भूमि गई है तथा खसरा नंबर 737 की 1 बिस्वा भूमि वन विभाग के नाम दर्ज हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण के पूर्वजों की समस्त भूमि राजकीय भूमि दर्ज करने का कोई आधार नहीं था तथा यह किसी प्रकार से विधिसम्मत भी नहीं था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने यह भी कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड में यह पूर्णतया प्रमाणित था कि खसरा नंबर 709/1 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी में अंकित हो रही है तथा सेटलमेंट के बाद नया नम्बर 740 सरकारी दर्ज हो रहा है किन्तु फिर भी परीक्षण न्यायालय ने तनकी संख्या–1 का निर्णय अपीलार्थी के विरूद्ध तय करने में कानूनी त्रुटि की है। आगे उनका यह भी कथन है कि तनकी संख्या–5 का निर्णय अपीलार्थीगण के विरूद्ध तय करने में भी परीक्षण न्यायलय ने कानूनी त्रुटि की है क्योंकि यदि नामांतरकरण संख्या 78 निरस्त होता है तो उसकी पश्चातवर्ती कार्यवाही स्वतः ही

निरस्त हो जावेगी। अन्त में उनका कथन है कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष यह पूर्णतया प्रमाणित था कि विवादित आराजी पर आज भी अपीलार्थीण काबिज काश्त चले आ रही है तथा विवादित भूमि पर चाह बना हुआ है, जो अब गढ्ढे की शक्त में है किन्तु परीक्षण न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विवेचन किये बिना ही दावा वादीगण निरस्त किया है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी सरसरी तौर पर प्रस्तुत अपील को खारिज करने में विधिक भूल की है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री अपास्त किये जावें।

5– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का कथन है कि वादीगण द्वारा विवादित भूमि के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजात से ही यह स्पष्ट है कि उनका विवादित भूमि पर न तो कब्जा है, न ही यह भूमि कृषि भूमि है बल्कि यह भूमि आबादी में परिवर्तित हो चुकी है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि परीक्षण न्यायालय व अपीलीय न्यायालय द्वारा तनकीवार विश्लेषण करते हुए सांगोपांम निर्णय पारित किए हैं, जो कि समवर्ती निर्णय है और उनमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण विद्यमान नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य रूप से प्रदर्श डी–4 का उल्लेख कर व्यक्त किया कि इस भूमि का क्षेत्राधिकार ही राजस्व न्यायालय का नहीं है बल्कि आबादी भूमि होने से दावा barred by law है। प्रस्तुत अपील में उठाये गये आक्षेप निर्मूल है, अतः अपील खारिज की जावे।

6– हमनें विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया, जिसमें हम पाते हैं कि दावा व जवाबदावा पर आधारित तनकीयों पर परीक्षण न्यायालय द्वारा साक्ष्य–सबूतों का विश्लेषण करके तनकीवार निर्णय पारित किया गया है। इनमें मुख्य रूप से तनकी संख्या 2 व 5 पर किया गया विश्लेषण प्रश्नगत भूमि की किस्म बाबत् व उस पर स्वत्व के संबंधित है जिसके विषय में प्रदर्श पी–1 रजिस्टर खतौनी सन् 1951 के कॉलम संख्या 32 में खसरा नंबर 709/1 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा को नामांतरकरण संख्या 78 दिनांक 11–9–1951 के द्वारा आबादी में दर्ज किया गया

था, को वादीगण दावे के माध्यम से निरस्त नहीं करा सकते। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभावशील होने के पूर्व से ही यह भूमि काबिल काश्त नहीं थी तथा उपलब्ध साक्ष्य से यह स्थापित हुआ है कि इस भूमि पर सरकारी कार्यालय बने हुए हैं और नगरपालिका, छबड़ा की आबादी में स्थित है। अतः बरवक्त दावा दायरी जब वादीगण का इस भूमि पर कब्जा ही नहीं था तो उनका दावा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 88 व अन्य धाराओं में चलने योग्य ही नहीं था। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष तथ्य व कानून पर आधारित होने से विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा भी तनकी नम्बर–5, जो कि क्षेत्राधिकार से सम्बंधित है, पर प्रमुखतया विश्लेषण करते हुए परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 03–03–2001 की पुष्टि की है जो कि सारगर्भित है। द्वितीय अपील में उठाये गये आक्षेपात भी मात्र दावा व प्रथम अपील के ही अभिवचनों/ आधार वाक्यों की पुनरावृति के बतौर हैं, जिन पर पूर्वतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय होने से द्वितीय अपील स्तर पर हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार विद्यमान नहीं होने से अपील सारहीन है।

7– परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती है एवं न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–6–2001 तथा न्यायालय उप जिला कलक्टर, छबड़ा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03–03–2001 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सूरजभान जैमन)
सदस्य

(वी0 श्रीनिवास)
अध्यक्ष